न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी: पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या –11/2024 (आवन्टन निरस्तीकरण)
GCMS No. 2024/221

सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

कालूलाल आत्मज श्यामलाल उर्फ नन्दा जाति मेघवाल निवासी ग्राम मुडिया तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा

––अप्रार्थी.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अंतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत् । रिमाण्ड प्रकरण अति0 संभागीय आयुक्त कोटा

उपस्थित–

1. पेरोकार सरकार
2. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांकः– 16/07/2025

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार ग्राम मुड़िया के आराजी खसरा नम्बर 597 की रकबा 0.68 हे0, दिनांक 02.12.2010 को आवंटी अप्रार्थी कालूलाल आत्मज श्री श्यामलाल मेघवाल निवासी मुड़िया को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने, आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया जाने पर प्रकरण में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.11.2020 से अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त कर दिया गया, अप्रार्थी ने आदेश दिनांक 10.11.2020 के विरूद्व अति0 संभागीय आयुक्त कोटा में अपील प्रस्तुत की जाने पर न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा के प्रकरण संख्या 154/2024 निर्णय दिनांक 20.8.2024 से इस न्यायालय का आदेश 10.11.2020 अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः इस न्यायालय को प्रकरण का समुचित परीक्षण कर पक्षकारान को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रिया का पूर्ण पालन कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया गया ।

जिला कलक्टर
कोटा

2. प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया, नोटिस बाद तामिल प्राप्त । अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री रामबाबू मालव का वकालतनामा पेश हुआ । वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है । पेरोकार सरकार एवं वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई ।

3. पेशकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अप्रार्थी को ग्राम मुड़िया तह0 रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 597 रकबा 0.68 हे0, भूमि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की गई थी । पूर्व आदेश से आवंटन अपास्त हो चुका है किन्तु प्रकरण पुनः रिमाण्ड से प्राप्त हुआ है किन्तु अप्रार्थी ने अपने जवाब के साथ कब्जा काश्त करने की पुष्टि में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में खसरा गिरदावरी की नकलें प्रस्तुत नहीं की है, जिससे स्पष्ट है कि आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है । अतः प्रार्थी को किया गया आवंटन कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।

4. वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब एवं बहस में कथन किया है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अपीलांट को खसरा नं0 597 की रकबा 0.68 हे0 दिनांक 2.12.2010 को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन किया गया था । राजस्व रिकार्ड अनुसार अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है । आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी को आवंटन के पश्चात उक्त भूमि पर कब्जा संभला दिया गया था तब से उक्त भूमि पर अप्रार्थी के कब्जा काश्त में चली आ रही है । अप्रार्थी द्वारा किसी भी आवंटन शर्तो का उल्लंघन नहीं किया है । राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के तहत दिनांक 2.12.2010 को भूमि आवंटित की गयी थी । जिस पर तहसीलदार द्वारा खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये गये अभी भी अप्रार्थी की गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है । उक्त भूमि अप्रार्थी के कब्जे काश्त में है । राजस्व अधिकारियों ने प्रावधानों की पालना नहीं की जबकि यह उनका दायित्व था कि उक्त आवंटन नियमों के शर्तो के अनुसरण में गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये जाने के प्रावधान किया गया है, आवंटन शर्तो / नियमों में संशोधन कर तीन वर्ष में आवंटी को खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रावधित है । आवंटन शर्तो की पालना में आवंटी को गैर खातेदारी होने के पश्चात तहसीलदार को स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान है । इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय 2016 (1) आर आर टी 340 व 2016 (1) आर आर टी 559 में स्पष्ट रूप से अपना मत प्रतिपातिद किया है उसके बावजूद भी उक्त न्यायिक दृष्टान्तों को नजर अंदाज व उक्त राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय की अवेलना करते हुए तहसीलदार द्वारा खातेदारी अधिकार के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जाकर अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है । बल्कि वैधानिक प्रावधानों के विपरीत जाकर उक्त प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का की त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत किया है जो स्पष्ट रूप से विधि के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है । तहसीलदार द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व सन 2016 में हुए आवंटन को मिथ्या कथनों व पटवारी हल्का की गलत एवं एक तरफा त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट के आधार पर आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । अप्रार्थी का आवंटन समिति द्वारा सन 2010 में आवंटित की गई थी । आवंटित वर्ष 2010 से 2016 अर्थात 6 वर्ष लगभग आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, मियाद की अवधि विहित नहीं है । अयुक्तियुक्त विलम्ब के बाद शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता । स्पष्ट रूप से अवधि बाधित है, इतने लंबे समय के पश्चात आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है । इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 2016 (2) आर आर टी 756 रामकल्याण बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में स्पष्ट मत प्रतिपादित किया है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें ।

जिला कलक्टर
कोटा

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थी आवंटी को पूर्ण सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया । ग्राम मुड़िया के आराजी खसरा नम्बर 597 की रकबा 0.68 हे0, दिनांक 02.12.2010 को आवंटी अप्रार्थी कालूलाल आत्मज श्री श्यामलाल मेघवाल निवासी मुड़िया को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी आवंटी अप्रार्थी ने आवंटन शर्तो की पालना की पुष्टि में कब्जा काश्त नहीं करने से आवंटन निरस्तीकरण 14(4) का प्रकरण प्रस्तुत किया है, उक्त आवंटन पूर्व आदेश दिनांक 10.11.2020 से निरस्त हो चुका है किन्तु अति0 संभागीय आयुक्त न्यायालय कोटा द्वारा आदेश दिनांक 10.11.2020 को निरस्त किया जाकर

प्रकरण पुनः जांच हेतु इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है । रिमाण्ड के बिन्दुओं के सम्बन्ध में उक्त आवंटिन भूमि पर कब्जा काश्त होने की पुष्टि में अप्रार्थी द्वारा कई मौके दिये जाने के बाद भी दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में खसरा गिरदावरी की नकलें पेश नहीं की जाने से आवंटी के कब्जा काश्त करने की पुष्टि नहीं होती है । अतः आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से आवंटन निरस्त योग्य पाते है । वकील अप्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक निर्णय RRT 2016(1) page 340, एवं RRT 2016(1) page559, प्रस्तुत किये है किन्तु दोनों न्यायिक निर्णयों में भी भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त में होने का उल्लेख किया है तथा कब्जा काश्त होने से खातेदारी अधिकार के निर्देश दिये है किन्तु इस प्रकरण में आवंटित भूमि आवंटी अप्रार्थी के कब्जा काश्त में होने के दस्तावेजी साक्ष्य सबूत आवंटी द्वारा पेश नहीं किये जाने से प्रस्तुत न्यायिक निर्णय इस प्रकरण में पूर्णरूप से लागू नहीं होते है ।

6. परिणामतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मुड़िया तहसील रामगंजमण्डी की भूमि खसरा नम्बर 597 रकबा 0.68 हे0 का दिनांक 2.12.2010 को अप्रार्थी के हक में किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन आदेश निरस्त किया जाता है । तहसीलदार रामगंजमण्डी आवंटन निरस्तीकरण आदेश का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें एवं राजहित में उक्त भूमि का भौतिकरूप से कब्जा प्राप्त कर पालना सुनिश्चित करें ।

7. निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा